न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/92/2024 रजू दिनांकः 16.07.2024 रजि0 न0 2024/167

अपीलार्थीः—

श्री अक्षय गोयल, निवासी प्लॉट 589, सूर्य नगर, नियर रिद्वि—सिद्वि सर्किल गोपालपुरा बाईपास, जयपुर—302018 (राज0)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 20.08.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 30.07.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब आदिनांक तक अप्राप्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के जवाब के अभाव में एंव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है, कि यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जावें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलेक्टर अलवर
(राज0)